भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †6002

दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

खानों की स्टार रेटिंग

†6002. श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
डॉ. भोला सिंहः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया और अनूप्पर जिले में कोयला और प्रमुख खनिजों के लिए खानों की स्टार रेटिंग ढांचे के अंतर्गत वर्ष और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने खनन पट्टों का मूल्यांकन किया गया है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित कितनी खानों ने थ्री-स्टार, फोर-स्टार, फाइव स्टार और सेवन स्टार रेटिंग प्राप्त की है;
(ग) ऐसे खनन पट्टों की संख्या कितनी है जो न्यूनतम थ्री-स्टार रेटिंग प्राप्त करने में विफल रही हैं; और
(घ) सरकार द्वारा ऐसी गैर-अनुपालन वाली खानों के विरुद्ध प्रचालनों को निलंबित करने अथवा अनुपालन उपायों सहित क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिए नीति के अनुसार, पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले के कोयला खानों को प्रदान की गई रेटिंग नीचे दी गई है:

जिले का नाम	स्टार रेटिंग ढांचे के तहत मूल्यांकन की गई कोयला खानों की संख्या		
	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
उमरिया	5	6	6
शहडोल	7	8	9
अनूपपुर	9	11	12

रिकॉर्ड के अनुसार, शहडोल और उमरिया जिले में प्रमुख खनिजों की कोई भी खान नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 3 खान हैं जिनमें से 2 खान पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-प्रचालनरत रही हैं तथा एक खान जो प्रचालन मे थी, उसका मूल्यांकन किया गया है।

(ख) शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों द्वारा प्राप्त रेटिंग का विवरण नीचे दिया गया है:

समीक्षा अवधि	थ्री स्टार	फोर स्टार	फाइव स्टार	सेवन स्टार
वित्त वर्ष 2021-22	14	4	1	कोयला खानों के लिए स्टार रेटिंग नीति के तहत सेवन स्टार रेटिंग देने का कोई प्रावधान नहीं है।
वित्त वर्ष 2022-23	7	7	2	
वित्त वर्ष 2023-24	10	5	3	

प्रमुख खनिजों के लिए, शहडोल निर्वाचन क्षेत्र में एक खान ने वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान लगातार 3-स्टार रेटिंग प्राप्त की।

(ग) शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की उन खानों की संख्या जो पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम थ्री-स्टार रेटिंग प्राप्त करने में विफल रहीं, नीचे दी गई हैं।

समीक्षा अवधि	कोयला खानें	प्रमुख खनिज खान
वित्त वर्ष 2021-22	2	2
वित्त वर्ष 2022-23	9	2
वित्त वर्ष 2023-24	9	2

(घ) एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 (4) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को खनन कार्य शुरू होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम थ्री-स्टार रेटिंग प्राप्त करना और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसे बनाए रखना अनिवार्य है। यदि पट्टाधारक न्यूनतम 3-स्टार रेटिंग प्राप्त करने में विफल रहता है, तो स्टार रेटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। अनुपालन न करने की स्थिति में, खान का प्रचालन निलंबित कर दिया जाता है। स्टार रेटिंग आवश्यकता के अनुपालन के निरीक्षण के माध्यम से सत्यापन के बाद निलंबन रद्द कर दिया जाता है।
